

फर्द अहकाम

सुरेश वर्गौ

बनाम

प्रभुदयाल वर्गौ

य का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

01/04/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15.09.2024	<p>अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि० एडी नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.10.2024 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	<p><i>[Signature]</i> सुरेश वर्गौ</p>
9/10/24	<p>वादी प्रथम अधिवक्ता उपाधिका वादी द्वारा वाद पत्र विज्ञो किर जाने हेतु पेश किर जाने पर पत्रावली आज पेशी में ली जाने वादी द्वारा वाद नही चलाने पर विज्ञो करने की अनुमति चाही है।</p> <p>अतः वादी को वाद विज्ञो किर जाने अनुमति उदान की जाती है। वाद विज्ञो किर जाने से खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुभाट टोकर नम्बर से कल टोकर दाखिल वफ्त हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	